निविदा दस्तावेज़

विडियोग्राफी कार्य के लिए

क्र./ /भा.निर्वा./निविदा/वि.निर्वा./विडियो/2018 देवास,दिनांक .05.2018

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवास (म.प्र.)

टेलीः 07272-259 999

ई-मेल: deodewas@gmail.com

वेबसाइट: www.dewas.nic.in

मूल्य: ₹ 1000 / - (केवल एक हजार रुपए)

नोट: - बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत ईएमडी केवल राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी की गई होना चाहिए।

अति आवश्यक/ निर्वाचन तत्काल

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (भारत निर्वाचन) जिला-देवास (म.प्र.)

दूरभाष – 07272 254922,259999 फेक्स – 07272 252444 **Email – deodewas@gmail.com**

-: निविदा सूचना :-

क्र./ 313 /भा.निर्वा./निविदा/वि.निर्वा./विडियो/2018 देवास,दिनांक 30.05.2018

विधानसभा आम निर्वाचन 2018 के लिये की जाने वाली विडियोग्राफी तथा विहित स्थानों पर विडियो/डिजीटल कैमरे/सी.सी.टी.वी लगाये जाने हेतु पंजीकृत तथा अनुभवी शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ निजी संस्थाओं से सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

आनलाईन निविदायें **दो बोली प्रणाली (Two Bid System) के आधार** पर खोली जावेंगी तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्रभावी होंगी। विस्तृत निविदा दस्तावेज जिसका मूल्य राशि ₹ 1,000 (राशि एक हजार मात्र) हैं, जिले की वेबसाईट www.dewas.nic.in, एवं www.mpeproc.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता हैं। आनलाईन भरी गई निविदा की पूर्णता कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक की प्रतिभूति राशि ₹ 50,000 (राशि पचास हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंक गारंटी के साथ तकनीकी बोली के सील्ड लिफाफे में प्रस्तुत की जावेगी। निविदा दस्तावेज क्रय राशि ₹ 1,000 (राशि एक हजार मात्र) चालान द्वारा मद संख्या 0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें -02-निर्वाचन – 800-अन्य प्राप्तियां में राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाकर चालान की मूल प्रति तकनिकी बोली के सील्ड लिफाफे में साथ में रखी जावे।

निविदा आनलाईन भरी जाकर हार्ड कापी मूलतः हस्ताक्षरित मय समस्त सहपत्रों के दिनांक 15.06.2018 (शुक्रवार) अपरान्ह 03.00 बजे तक रजिस्ट्रीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। कोरियर तथा कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की गई निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। तकनिकी निविदा उसी दिनांक को अपरान्ह 03.30 बजे निविदा समिति एवं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारियां एवं निर्देश उपरोक्त वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

(डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय)
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला देवास (म.प्र.)

पृ.क्र./ 314 /भा.निर्वा./निविदा/वि.निर्वा./विडियो/2018 देवास,दिनांक 30.05.2018

प्रतिलिपि –

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, जन सम्पर्क भोपाल की ओर जिले के दो सार्वाधिक वितरित किये जाने वाले समाचार पत्रों में उक्त निविदा निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने का कष्ट करें।
3. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर जिला इन्दौर, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, नीमच, खण्डवा, खरगौन, हरदा, आगर-मालवा, मन्दसौर एवं सीहोर की ओर निविदा सूचना का प्रचार-प्रसार करने हेतु।
6. श्री .... पद .... अध्यक्ष /सदस्य निविदा समिति की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .... (समस्त) की ओर सूचनार्थ। कार्यालय सूचना पटल पर उक्त निविदा को चस्पा करें तथा स्थानीय संस्थाओं को सूचित करें।
8. तहसीलदार .... (समस्त) की ओर सूचनार्थ। कार्यालय सूचना पटल पर उक्त निविदा को चस्पा करें तथा स्थानीय संस्थाओं को सूचित करें।
9. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला देवास, निविदा सूचना एवं प्रपत्र को जिले की वेबसाईट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।
10. उप संचालक, जनसम्पर्क जिला देवास की ओर जिले के दो सार्वाधिक वितरित किये जाने वाले समाचार पत्रों में उक्त निविदा निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं प्रकाशन की कटिंग इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु।

(डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय)
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला देवास (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (भारत निर्वाचन), जिला देवास (म.प्र.)
चालान कमांक .... दिनांक ....

मुल्य रूपये 1000/– ——————

निविदा–प्रपत्र

चुनाव प्रचार, क्रिटिकल घटनाओं, नाम निर्देशन कार्यवाही, प्रेक्षक, कानून व्यवस्था, व्यय लेखा संबंधी, मतदान के समय मतदान केन्द्रों पर एवं अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की विडियोग्राफी हेतु निविदा

भाग–1

निविदा समय सारणी :–

1.	जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के कार्यालय मे निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :–	**दिनांक 15.06.2018 (शुक्रवार)** समय 3:00 बजे तक
2.	निविदा खुलने का दिनांक व स्थान :–	**15.06.2018 (शुक्रवार)** अपरान्ह 03.30 बजे **जिला निर्वाचन कार्यालय, देवास**

ई–टेंडरिंग हेतु कार्य क्षेत्र एवं सामान्य शर्ते :–

3. ईच्छुक संस्थाओं द्वारा निविदा प्रपत्र वेबसाईट www.dewas.nic.in, एवं www.mpeproc.gov.in पर देखा एवं क्रय किया जा सकता है। निविदा निर्धारित प्रपत्र पर आनलाईन भरी जाकर वेबसाईड से डाउनलोड किये जाने के उपरांत आनलाईन मुद्रित मूल प्रपत्र की प्रति पर निर्धारित दिनांक के पूर्व प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा निविदाकार द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर पूर्ण हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। निविदा बंद लिफाफे में जिस पर **"विधानसभा आम निर्वाचन 2018"** लिखा हो को **रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट** से जिला निर्वाचन कार्यालय देवास को इस प्रकार प्रेषित की जाना चाहिए ताकि निर्धारित अंतिम दिनांक एवं समय के पूर्व इस कार्यालय को प्राप्त हो जावें। निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। तथा ऐसी निविदाऐं सीधे निरस्त कर दी जावेगी।
4. प्रत्येक निविदा के साथ अमानत राशि के रूप मे रूपये 50000 /– (पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट /बैंक गारंटी जो कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के पक्ष में देय हो, संलग्न की जावें।
5. निविदा क्रय मूल्य राशि 1000 (राशि रू. एक हजार मात्र) का चालान मद संख्या 0070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं –02 निर्वाचन–800 अन्य प्राप्तियॉ में राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाकर मूल प्रति तकनिकी बोली के सील्ड लिफाफे में साथ में रखी जावें।
6 प्राप्त तकनिकी निविदाओं के समस्त बंद लिफाफे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त निविदा समिति एवं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष नियत दिनांक एवं समय पर खोले जावेंगे। जिन निविदाकारों की निविदा के साथ अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट तथा निविदा क्रय मूल्य का चालान तथा आवश्यक प्रमाणिक दस्तावेजों की प्रतिया संलग्न नहीं होगी वह निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी। अस्पष्ट, अपूर्ण, भरी हुई निविदाएं भी अस्वीकृत कर दी जावेगी। निविदा के संबंध में समस्त प्रकार की सूचनाएं/ संशोधन उपरोक्त दर्शित वेबसाईट पर पोस्ट की जावेगी। अतः निविदाकार को निरंतर वेबसाईट पर विजिट करते रहना चाहिए।
7 **वित्तीय निविदा केवल आनलाईन जमा की जावेगी तथा तकनिकी निविदा में सफल निविदाकार की वित्तीय निविदा आनलाईन ही खोली जावेगी। वित्तीय निविदा तकनिकी निविदा के साथ भौतिक रूप से प्रस्तुत नहीं की जाना चाहिए।**
8 जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत होगी उसे धरोहर राशि के रूप में रूपये 1,00,000/– (एक लाख मात्र) की राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के माध्यम से जो कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के पक्ष में देय हो, निविदा स्वीकृति की सूचना के दो दिवस के अन्दर जमा करना होगी। धरोहर राशि कार्य समाप्त होने के पश्चात तथा निविदाकार से होने वाली समस्त वसूली के उपरान्त वापस की जावेगी। निविदा के साथ प्रस्तुत 50,000 (रूपये पचास हजार मात्र) अमानत राशि निविदा समिति द्वारा अंतिम निर्णय उपरांत वापस की जावेगी।
9 सफल निविदाकार/निविदाकारों जिन्हें कार्यादेश जारी किया गया है, को कि गई विडियोग्राफी की सी. डी/मेमोरी कार्ड स्वयं के व्यय पर उपयोग में लाना होगी। इस हेतु पृथक से भुगतान देय नहीं होगा। कार्य उपरान्त अथवा चाहे जाने पर सम्पूर्ण सी.डी /मेमोरी कार्ड जिला निर्वाचन अधिकारी देवास द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को उपलब्ध करायी जावेगी।

10 **निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को निम्न शर्तो का पालन करना आवश्यक है।**

1. विधानसभा/लोकसभा निर्वाचनों के लिये किये गये विडियोग्राफी के कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। (सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
2. निविदाकार की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए। इस हेतु विगत तीन वर्ष की बेलेन्स शीट प्रस्तुत की जाना चाहिए। (सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
3. विगत 3 वर्षो की दाखिल की गई आयकर रिटर्न की स्व हस्ताक्षरित प्रति, पेन नम्बर की प्रति प्रस्तुत की जावें। पंजीकरण की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. **GST पंजीकरण की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।**
5. निविदाकार एवं उसके द्वारा नियुक्त किये गये विडियोग्राफर एवं कर्मचारी का किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। निविदाकार एवं उसके कर्मचारी कार्य अवधि में किसी भी राजनैतिक पार्टी अथवा अभ्यर्थी से चाय, नाश्ता, खाना इत्यादि ग्रहण नहीं करेगें यदि निविदा शर्तों का उल्लंघन पाया गया तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
6. निविदाकार अपनी ड्यूटी के दौरान निविदाकार और उनके दल को चाय/नाश्ता देने का प्रबंध स्वयं के व्यय पर करेगें। जिसका भुगतान पृथक से देय नहीं होगा।
7. निविदाकार सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के मार्गदर्शन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगा।
8. निविदाकार का कार्य क्षेत्र तथा आवश्यक कैमरों की अनुमानित संख्या भाग क्रमांक 2 के अनुसार होगी। कैमरों की संख्या अधिक या कम हो सकती है।
9. निविदाकार विडियोग्राफी पूर्ण होने तक समस्त रिकार्डिग की सुरक्षा के लिये पूर्णतः जिम्मेदार होगा। रिकार्डिग पश्चात पूर्ण होने पर निविदाकार रिकार्डिग की सी.डी/मेमोरी कार्ड जिला निर्वाचन अधिकारी देवास अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को सौपेगा। तत्पश्चात उस सी. डी /मेमोरी कार्ड की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी देवास की होगी।

10 प्रत्येक खण्ड के कार्य का विस्तृत ब्योरा जिला निर्वाचन अधिकारी देवास अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

11. निविदाकार प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी देवास अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
12. निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत निविदाकार की यह जिम्मेदारी होगी कि कार्य निर्बाध रूप से निरन्तर चलता रहे। किसी भी तरह के विलम्ब अथवा शिकायत के लिए उसे कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा। एवं प्रतिभूति की राशि राजसात की जावेगी।
13. जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत होगी उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि निविदा प्रपत्र के भाग 2 में उसने जितने कैमरों की संख्या का उल्लेख किया है वे सभी कार्य हेतु मय कैमरामेन के उपलब्ध रहें।
14. किसी भी निविदाकार को दो से अधिक विधानसभा क्षेत्र का कार्य नही सौपा जावेगा। अतः निविदा प्रपत्र पर प्राथमिकता क्रम का उल्लेख करते हुए विधानसभा क्षेत्र जिसमें निविदाकार कार्य करने का इच्छुक है अंकित किया जाना चाहिए। अंतिम रूप से कार्य हेतु विधानसभा क्षेत्र आवंटित करने का अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के पास सुरक्षित रहेगा।

11. निविदाकार द्वारा जिस दर पर निविदा प्रस्तुत की जावेगी उसमें यह माना जावेगा कि उस दर में समस्त प्रकार के कर एवं व्यय सम्मिलित है।

12. जिला निर्वाचन अधिकारी देवास को यह अधिकार होगा कि गुण–दोष के आधार पर बिना कोई कारण बताये निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकता है।

13. स्वीकृत दरें वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये मान्य होगी। कार्य की गुणवत्ता एवं आवश्यकतानुसार कार्यादेश में वर्ष 2019–20 तक के लिये वृद्धि की जा सकेगी।

14. निविदाकार निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट 5 में संलग्न प्रमाण–पत्र में हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करेंगे।

15. निविदाकार से आयकर एवं वाणिज्य कर को नियमानुसार कटोत्रे उन्हें भुगतान की जाने वाली राशि से काटी जावेगी। पेन नम्बर/टेन नम्बर की प्रति संलग्न की जावें।

16. किसी भी तरह के विवाद हेतु अंतिम निर्णय जिला निर्वाचन अधिकारी देवास द्वारा किया जावेगा जो सर्वमान्य होगा।

17. यदि निविदाकार द्वारा निर्धारित शर्ते एवं प्रक्रिया तथा जिला निर्वाचन अधिकारी देवास द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी। निविदाकार को किसी भी तरह का कोई भुगतान नहीं किया जावेगा एवं उसकी कीमत पर किसी अन्य विडियोग्राफर से कार्य लिया जावेगा।

18 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला देवास, द्वारा नियत किये गये कार्यों के संबंध में निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों के परीक्षण एवं कैमरों के उपयोगकर्ता अधिकारियों के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण उपरांत स्वीकृती योग्य पाई गई राशि में से नियमानुसार आंशिक राशि का भुगतान आवंटन की उपलब्धता अनुसार किया जावेगा। शेष राशि का भुगतान नियमानुसार कार्योत्तर स्वीकृती एवं आवंटन प्राप्त होने पर तथा आवश्यक कटोत्रों के समायोजन पश्चात किया जावेगा।

19 निविदाकार को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

20 उपलब्ध कराये गये मेनपावर के संबधं में समस्त प्रचलित नियम/कानूनों के पालन की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। मेनपावर की अकस्मात अनुपस्थिति, कैमरे की खराबी आदि होने पर वैकल्पिक व्यवस्था निविदाकार द्वारा तत्काल की जायेगी। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर 500/– रूपये प्रतिदिन पैनल्टी लगायी जायेगी, जो निविदाकार को भुगतान योग्य राशि में से समायोजित कि जावेगी।

21. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम में कोई परिवर्तन संबंधी निर्णय लेने अथवा चुनाव कार्यक्रम में होने वाले किसी भी परिवर्तन के कारण निविदाकार संशोधित चुनाव कार्य अनुसार विहित (कान्ट्रेक्ट) दर से अपनी सेवा जिला निर्वाचन अधिकारी देवास को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा। निविदाकार को देय सेवा शुल्क का निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के द्वारा निवेदित दर को दृष्टिगत रखते हुए किया जावेगा, जो कि निविदा दाता को मान्य होगा।

22. निविदा का प्रत्येक पृष्ठ निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

23. ई–टेंडरिंग के संबंध में आवश्यक नियम एवं शर्ते
   1. ई–टेंडरिंग प्रकिया में सम्मिलित होने वाले ईच्छुक निविदाकारों के लिए वेबसाईट www.mpeproc.gov.in पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। अतः ईच्छुक निविदाकार स्वंय के व्यय पर उपरोक्त साईट पर पंजीकरण पर्याप्त समय पूर्व करने का कष्ट करें।
   2. निविदा प्रपत्र का कय केवल आनलाईन निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुवे तथा निर्धारित कय मूल्य का भुगतान करते हुवे किया जाना चाहिए। कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार से निविदा प्रपत्र का विकय नहीं किया जावेगा।
   3. वेबसाईट पर पंजीकरण से संबंधित समस्त प्रकार के शुल्क निविदाकार द्वारा वहन किये जावेंगे।
   4. चूंकि निविदाकार को आनलाईन निविदा जमा करना है। जिसके लिए आवश्यक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट निविदाकार द्वारा तत्काल प्राप्त कर लिया जाना चाहिए ।
   5. निविदाकार को यह भी सूचित किया जाता है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रकिया में 7 से 10 दिनों का समय लगता है। अतः उपरोक्त वेबसाईट पर पंजीकरण करने एवं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की कार्यवाही यथा समय स्वंय के स्तर से पूर्ण कर लेना चाहिए। निर्धारित प्रक्रियाओं में लगने वाले समय अथवा विलम्ब के लिए यह विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
   6. प्रथमबार ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकारों को समस्त औपचारिकताऍ जैसे पंजीकरण, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यूजर आई.डी पासवर्ड , आदि से संबंधित कार्यवाहियॅा यथा समय पूर्ण कर लेनी चाहिए।
   7. निविदा प्रकिया में किसी संशोधन, समय/तिथि परिवर्तन आदि की अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिये निविदाकार को निरंत जिले की उपरोक्त वेबसाईट पर विजिट करते रहना चाहिए।

24. निविदाकार अधिक जानकारी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी देवास कार्यालय में कार्यालयीन कार्य दिवस में संपर्क स्थापित कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला देवास (म.प्र.)

भाग – 2

विडियोग्राफी हेतु निर्धारित विडियों/डिजीटल कैमरों (अनुमानित) का जिला स्तरीय एवं विधानसभावार विवरण

स. क्र	खण्ड क्रमांक	अवधि (अनुमानित)	170–सोनकच्छ		171–देवास		172–हाटपिपल्या		173–खातेगांव		174–बागली	
			विडियो केमरे	डिजीटल केमरे	विडियो केमरे	डिजीटल केमरे	विडियो केमरे	डिजीटल केमरे	विडियो केमरे	डिजीटल केमरे	विडियो केमरे	डिजीटल केमरे
1	नामांकन कार्यवाही	10 दिवस	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
2	कानून व्यवस्था	40 दिवस	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
3	व्यय लेखा	40 दिवस	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
4	प्रेक्षक	40 दिवस	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
5	जिला निर्वाचन अधिकारी	40 दिवस	1 (विडियो केमरे)									
6	पुलिस अधीक्षक कार्यालय	40 दिवस	1 (विडियो केमरे)									
7	रिटर्निंग / सहायक रिटर्निंग आफिसर	40 दिवस	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
8	प्रचार अभियान, आमसभा आदि	40 दिवस	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
9	ई.व्ही.एम. जांच, रेण्डमाईजेशन, सीलिंग,	10 दिवस	10 (डिजिटल केमरे)									
10	मतगणना कार्यवाही	1 दिवस	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
11	संवेदनशील मतदान केन्द्रों की संख्या (कुल मतदान केन्द्रों का 25 प्रतिशत)	1 दिवस	–	75	–	75	–	63	–	75	–	75
12	अन्य कार्यवाही हेतु आरक्षित	30 दिवस	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		योग	**23**	**77**	**23**	**77**	**23**	**65**	**23**	**77**	**23**	**77**

1. जिला स्तर पर आवश्यक विडियो कैमरों की संख्या – 12
2. जिला स्तर पर आवश्यक डिजीटल विडियो कैमरों की संख्या – 10
3. विधानसभा स्तर पर आवश्यक विडियो कैमरों की संख्या – 115
4. विधानसभा स्तर पर आवश्यक डिजीटल विडियो कैमरों की संख्या – 373
5. आवश्यक सी.सी.टी.वी. कैमरों की संख्या – 50 (15 नामांकन कार्यवाही, 16 बी.एन.पी. स्ट्रांगरूम, 9 तहसील स्ट्रांगरूम, 10 अन्य)

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला देवास (म.प्र.)

नोट :– उक्त संख्या अनुमानित है। आवश्यकतानुसार संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।

भाग-3

तकनिकी बोली के लिये आवेदन पत्र

(विडियोग्राफी कार्य हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए)

1. निविदाकार की फर्म का नाम : ______________________________

2. फर्म का प्रकार (स्वयं / भागीदारी / निदेशक) : ______________________________
____

3. फर्म के मालिक / प्रोपराईटर/ निदेशक का विवरण

नाम : ______________________________

पता : ______________________________

मोबाईल नम्बर ______________________________

दूरभाष क्रमांक ______________________________

फ़ैक्स नम्बर ______________________________

ईमेल का पता ______________________________

4. जमा की गई प्रतिभूति राशि का विवरण : बैंक ड्राफ्ट / बैंक गारंटी का क्रमांक ____________
दिनांक __________ राशि __________ बैंक का नाम ______________________________

5. पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता: ______________________________
____

दूरभाष क्रमांक ______________________________

फ़ैक्स नम्बर ______________________________

ईमेल का पता ______________________________

6. स्थानीय शाखा का पूरा पता : ______________________________
____

दूरभाष क्रमांक ______________________________

फ़ैक्स नम्बर ______________________________

ईमेल का पता ______________________________

7. फर्म के स्थानीय / क्षेत्रीय अधिकारी का विवरण -

नाम : ______________________________

पता : ______________________________

मोबाईल नम्बर ______________________________

दूरभाष क्रमांक ______________________________

फ़ैक्स नम्बर ______________________________

ईमेल का पता ______________________________

8. निविदाकार के बैंक का विवरण : ____________________

बैंक का नाम : ____________________

शाखा का पता : ____________________

खाता क्रमांक : ____________________

आईएफएससी : ____________________

9. पैन संख्या: ____________________

(प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

10. सेवा कर पंजीकरण / जीएसटी संख्या: ____________________

(प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

11. अनुबंध श्रम (विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 1970 के तहत श्रम लाइसेंस / पंजीकरण का क्रमांक :

12. अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो:

(प्रदान की गई जगह अपर्याप्त हो, तो अलग पृष्ठ संलग्न करें)

13. निम्नलिखित प्रारूप में पिछले तीन वर्षों के दौरान यदि कोई भी निविदाकार द्वारा उपरोक्तानुसार कार्य किया गया हो तो ऐसे अनुबंधों का ब्योरा दें (यदि प्रदान की गई जगह अपर्याप्त है, तो एक अलग पृष्ठ संलग्न किया जा सकता है):

स.क्र.	संबंधित संस्थाओं का नाम/पता/दूरभाष/मो/ई-मेल का पता	किये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण	अनुबंध की कुल राशि (लाख/करोड)	कार्य की कुल अवधि	रिमार्क	कार्यादेश/भुगतान आदेश की प्रति संलग्न करें ।

14. उपलब्ध संसाधनों का विवरण :- अंकों में शब्दों में

1. उपलब्ध विडियों केमरों की संख्या ____________ ____________
2. उपब्ध डिजीटल केमरों की संख्या ____________ ____________
3 उपलब्ध सीसीटीवी केमरों की संख्या ____________ ____________
4. केमरामेनों की संख्या ____________ ____________

दिनांक :

स्थान :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम

सील

भाग – 4

विडियोग्राफर एवं उनके सदस्यों का व्यक्तिगत विवरण

क्रं.	नाम	पिता / पति का नाम	निवास का पता	मोबाईल नंबर	हस्ताक्षर

सदस्य संख्या अधिक होने पर पृथक शीट संलग्न करें।

भाग – 5

प्रमाण – पत्र

1. मैं/हम प्रमाणित करते है कि निविदा प्रपत्र में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

2. मेरे अथवा मेरे किसी निकट संबंधी का किसी भी राजनैतिक दल अथवा मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही निविदा में उल्लेखित क्षेत्र से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले किसी भी अभ्यर्थी से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि यदि भविष्य में मेरे अथवा मेरे किसी निकट संबंधी का किसी राजनैतिक दल अथवा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले किसी भी अभ्यर्थी से कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध निर्मित होता है तो मैं उसकी अविलंब लिखित सूचना किसी भी परिस्थिति में 24 घण्टे के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रस्तुत करूंगा।

3. मैं, अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ एवं राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हूये पूर्ण करूंगा एवं ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करूंगा जिससे निर्वाचन की निष्पक्षता एवं निर्विघ्नता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

स्थान ——————

दिनांक ——————

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम————————————

फर्म का नाम————————————

फर्म का पता————————————

————————————

निवास का पता————————————

————————————

फर्म का दूरभाष क्रमांक————————

निवास का दूरभाष क्रमांक————————

मोबाईल नंबर————————————

घोषणा

1. मैं ______________________ पिता / पति ______________________

उपरोक्त वर्णित फर्म का मालिक / प्रोपराईटर/ निदेशक, हस्ताक्षरकर्ता इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने और इस निविदा दस्तावेज को निष्पादित करने में सक्षम हूं।

2. मैंने निविदा के सभी नियमों और शर्तों को सावधानी से पढ़ और समझ लिया है और मुझे उनका पालन करने में कोई आपत्ति नहीं है।

3. उपर्युक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी / दस्तावेज मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और प्रामाणिक हैं। मैं / हम इस तथ्य से अच्छी तरह से अवगत हैं कि किसी भी झूठी सूचना / निर्मित दस्तावेज को प्रस्तुत करने पर फर्म तथा मेरे विरूद्ध सक्षम कानून के तहत अभियोजन स्थापित किया जा सकता हैं । तथा किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा को एक पक्षीय रूप से अस्वीकार/निरस्त किया जा सकता हैं तथा मेरे द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकती हैं ।

दिनांक :
स्थान :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
सील

भाग – 6

बोली "दर" को प्रदर्शित करने वाली प्रपत्र
(केवल आनलाईन भरा जावें)

5.1 दर :–

क.	विवरण	दर			
		प्रथम 12 घंटे तक के लिए		12 घंटे से अधिक होने पर प्रत्येक घंटे के लिए	
		अंकों में	शब्दों में	अंकों में	शब्दों में
1	प्रति विडियो केमरा				
2	प्रति डिजीटल केमरा				
3	सी.सी.टी.वी केमरा (4 केमरे का एक सेट प्रति यूनिट के मान से)				
4	प्रति कलर (एल.ई.डी) टी.वी मय केबल कनेक्शन				

क	विवरण	दर
5	मतदान दिवस हेतु (1 दिवस) विडियो/ डिजिटल कैमरा मय कैमरामेन	

नोटः– उपरोक्त दरों में कर्मचारी, स्थापना व्यय, अन्य व्यय तथा कर आदि सम्मिलित रहेंगे।

5.2 मैं/हम सहमत है कि हमारे द्वारा प्रस्तावित की गई उपरोक्त दर सभी कर एवं व्ययों सहित प्रस्तुत की गई है।

5.3 निविदा अनुसार समस्त शर्तें मुझे स्वीकार है, तथा किसी भी निविदा शर्त के उल्लंघन को दोषी पाये जाने पर धरोहर राशि राजसात कर फर्म के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

5.4 निविदा के साथ बैक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी क्रमांक————————————दिनांक———————————राशि 50000/– बैंक का नाम ....को संलग्न प्रस्तुत किया गया है।

5.5 विधानसभा क्षेत्रों का प्राथमिकता कम :–

कं.	विधानसभा क्षेत्र का कमांक एवं नाम	प्राथमिकता कम
1	170–सोनकच्छ	
2	171–देवास	
3	172–हाटपिपल्या	
4	173–खातेगॉव	
5	174–बागली	

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम——————————————————————

फर्म का नाम———————————————————

फर्म का पता———————————————————

——————————————————————————

निवास का पता——————————————————

——————————————————————————

फर्म का दूरभाष क्रमांक————————————————

निवास का दूरभाष क्रमांक———————————————

मोबाईल नंबर———————————————————

अनुबंध (प्रारूप)

यह अनुबंध दिनांक .... को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला देवास (म.प्र.) जिसे आगे इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए प्रथम पक्ष कहा गया है एवं मेसर्स .... जिसे आगे इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य संपादित किया जाता है। अतः प्रथम पक्ष द्वारा चाहे जाने पर द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को तय निविदा शर्तों एवं नियमों के अधीन विडियो केमरे/डिजिटल केमरे/सीसीटीवी आदि एवं विडियोग्राफी हेतु मेनपावर उपलब्ध कराने हेतु सहमत है।

अतः यह अनुबंध दोनों पक्षों के मध्य निम्नानुसार शर्तों के अधीन सम्पादित किया जाता है :–

1. मेनपावर की उपलब्धता तथा आवश्यक संख्या में केन्द्रों एवं अन्य लगने वाली सामग्री की व्यवस्था द्वितीय पक्ष के द्वारा की जावेगी।
2. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी मेनपावर प्रथम पक्ष के सीधे नियंत्रण व मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। तथा उसके कार्य के संबधं में प्रथम पक्ष के समस्त निर्देशों का पालन करेंगे।
3. मेनपावर को प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त किये जाने वाले विहित स्थान पर मय आवश्यक केमरे एवं सामग्री सहित भेजने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
4. मेनपावर को मानदेय का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा किया जावेगा।
5. सभी मेनपावर का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह शासकीय कार्य करते समय कार्य की गोपनीयता को बनाये रखे। अतः द्वितीय पक्ष उपलब्ध कराये जाने वाले मेनपावर की विश्वसनियता हेतु स्वंय उत्तरदायी रहेगा।
6. मेनपावर द्वारा नियम समय पर निर्धारित कार्य पूर्ण न करने/कार्य अक्षम होने/संसाधनों का दुरूपयोग करने/कार्यालयीन मर्यादाओं का उल्लंघन करने अथवा प्रशासनिक लापरवाही करने या उसके विरूद्ध वित्तीय अनियमितता आदि से संबंधित तथा अन्य शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में द्वितीय पक्ष के लिए यह बंधनकारी होगा कि वह संबंधित मेनपावर के स्थान पर किसी अन्य मेनपावर की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करें।
7. मेनपावर को उसके द्वारा किये गए कार्यों हेतु मानदेय के भुगतान अथवा अन्य किसी भी विषय के संदर्भ में प्रथम पक्ष से सीधे संपर्क अथवा पत्राचार नहीं करेगा और न ही उक्त संबंध में प्रथम पक्ष ऐसे किसी पत्राचार का सीधे जवाब देगा।
8. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचवन अधिकारी जिला देवास द्वारा नियत किये गये कार्यों के संबंध में द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों के परीक्षण उपरांत स्वीकृति योग्य पाई गई राशि में से नियमानुसार आंशिक राशि का भुगतान आवंटन की उपलब्धता अनुसार किया जावेगा।
9. द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
10. मेनपावर के संबधं में समस्त प्रचलित नियम/कानूनों के पालन की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
11. मेनपावर की अकस्मात अनुपस्थित, केमरे की खराबी आदि होने पर वैकल्पिक व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा तत्काल की जायेगी। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर 500/– रूपये प्रतिदिन पैनल्टी लगायी जायेगी, जो द्वितीय पक्ष को भुगतान योग्य राशि में से समायोजित कि जायेगी।
12. प्रथम पक्ष किसी भी समय बिना किसी सूचना के तथा बिना कोई कारण बताये अनुबंध को निरस्त करने का तथा अन्य संस्था को कार्य करने हेतु आदेशित करने के लिए स्वतंत्र है जिसके संबंध में द्वितीय पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार के पत्राचार का जवाब अथवा सूचना देने की बाध्यता प्रथम पक्ष की नहीं होगी।
13. निविदा नियम एवं शर्तों के अनुसार स्वीकृत की जाने वाली दर प्रतिदिन (24 घंटे) हेतु है। अतः द्वितीय पक्ष को उस अनुसार ही मेनपावर उपलब्ध रखे जाना आवश्यक होंगे।
14. स्वीकृत की गई दर समस्त करों सहित होगी। अतः जीएसटी/सीजीएसटी एवं आयकर से संबंधित तथा अन्य शासकीय करों के कटोत्रे नियमानुसार देयक राशि में से किये जावेंगे।
15. ऐसा कोई बिन्दु जो कि उपरोक्त बिन्दुओं में शामिल नहीं है, पर उभय–पक्ष निर्णय ले सकेंगे।
16. समस्त प्रकार के विवादों हेतु न्याय क्षेत्र देवास रहेगा।